2026: AHC-LKO: 21582

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

प्रार्थना-पत्रअन्तर्गत धारा 482 सं0-820/2026

श्री अनिल कुमार एवं एक अन्य ....**आवेदक**

बनाम

औषधि निरीक्षक उत्तर प्रदेश बहराइच क्षेत्रीय प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बहराइच, उत्तर प्रदेश ....**विरोधी पक्षकार**

आवेदक के अधिवक्ता	:	स्कंद बाजपेई
विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

13.03.2026 को सुरक्षित
26.03.2026 को घोषित
26.03.2026 को ऊपरिभारित

<u>न्यायालय सं0-15</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री बृज राज सिंह</u>

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सी0आर0पी0सी0") की धारा 482 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (संक्षेप में "अधिनियम, 1940") की धारा 18(क)(i) एवं 27(क) के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच के न्यायालय (संक्षेप में "विचारण न्यायालय") में लंबित विशेष सत्र विचारण सं0 09/2019

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

(राज्य बनाम अनिल कुमार एवं एक अन्य) में पारित समन आदेश दिनांकित 19.12.2019 को रद्द करने की मांग करते हुए योजित की गई है।

2. आवेदक का मामला यह है कि आवेदक सं0 1/अनिल कुमार 26.04.2021 तक वैध औषधि धारित अनुज्ञप्ति सं0 एल/16/1719/एमएनबीव एल/16/1720/एमबीदोनों दिनांकित 27.04.2016 के विक्रय के लिए या आवंटन के लिए विनिर्माण हेतु ऋण आज्ञप्तियों के माध्यम से राज्य औषधि नियंत्रक, नियंत्रण सह अनुज्ञापन प्राधिकारी, बड्डी, जनपद सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रधिकृत औषधियों के विनिर्माण में संलग्न आवेदक सं0 2/मेसर्स स्कोहिन्द प्रयोगशाला, भूखण्ड सं0 20, विस्तार एचपीएसआईडीसीइंड क्षेत्र, बड्डी, जनपद सोलन-173205, हिमाचल प्रदेश स्वत्वधारिता का स्वत्वधारी है। फर्म पंजीकरण सं0-02 एएमवाईपीके9712बी220 के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर के उद्देश्य के लिए पंजीकृत है। 19.12.2019 को विरोधी पक्षकार/औषधि निरिक्षक ने अधिनियम, 1940 की धारा 18 (क)(i)व 27(क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का आरोप लगाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश-1, गोंडा के समक्ष परिवाद दिनांकित 18.12.2019 को अधिमान दिया। अपने परिवाद में, विरोधी पक्षकार ने कहा है कि 27.05.2019 को ऐलोपैथिक औषधि नमूना सं0 आरपी/बीआरएस/मई/19/08 को अधिनियम 1940, के प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए मेसर्स स्कोहिन्द प्रयोगशाला, भुखण्ड सं0 20, विस्तार एसपीएसआईडीसी, इंड, क्षेत्र, बड्डी, जनपद सोलन-173205, हिमाचल प्रदेश (यहाँ आवेदक सं0 2) के द्वारा विनिर्मित गौसेक्लव-625 एल0बी0गोली (एमॉक्सीसिल्लिन, पोटैशियम क्लावुलेनेट एवं लैक्अिक अम्ल बेसिलस) बी/एन-एसएलबी-1832, एमडी-जनवरी/2019 एम ई/डी-जून/2020 के मेसर्स शबनम औषधि भंडार, कैसरगंज बाजार, बहराइच। (संक्षेप में "औषधि भंडार") से निरीक्षण के दौरान संग्रहित किया गया। परिवाद में यह पुनः कहा गया कि संग्रहित नमूने को पंजीकृत डाक दिनांकित 30.05.2019 के माध्यम से परीक्षण और

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषण प्रयोगशाला, लखनऊको भेजा गया और प्रयोगशाला की प्रतिवेदन दिनांकित 28.06.2019 के माध्यम से राय है कि *"नमूना क्लावुलैनिक अम्ल की मात्रा के संबंध में घोषित सूत्र को पुष्ट नहीं करता है,'*जिसके बाद विरोधी पक्षकार ने औषधि भण्डार को सूचना दिनांकित 09.07.2019 भेजा, जिसके उत्तर में, औषधि भण्डार ने मेसर्स एम के हेल्थकेयर, दुकान सं० 47, द्वितीय तल पीपलीवाला, कस्बा मनीमाजरा, चंडीगढ़-160101 के क्रय अभिलेख को प्रस्तुत किया। परिवाद में यह पुनः कहा गया है कि सूचना दिनांकित 06.09.2019 मेसर्स एम के हेल्थकेयर, चंडीगढ़ को भेजी गई, फिर भी वे अनुत्तरदायी रहे। यह पुनः कहा जाता है कि सूचना दिनांकित 06.09.2019 सभी आवेदकों को सीलबंद भाग और मूल परीक्षण प्रतिवेदन के साथ भेजी गई और पत्र दिनांकित 19.10.2019 के माध्यम से, आवेदकों ने जवाब दिया और गौसेक्लव-625 एलबी गोली के विनिर्माण को स्वीकार किया और खेप विनिर्माण अभिलेखों, परीक्षण प्रतिवेदन, अनुज्ञप्ति और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत किया। अंततः परिवाद में यह कहा जाता है कि पत्र दिनांकित 08.07.2019 के माध्यम से आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ ने अभियुक्त फर्म एवं व्यक्तियों के विरुद्ध परिवाद योजित करने के लिए निर्देश दिया, परिणामस्वरूप आवेदकों को विरोधी पक्षकार द्वारा उन्हें समनित, विचारित एवं दंडित करने की प्रार्थना करते हुए अपने परिवाद में अभियुक्त के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया। अपने परिवाद के समर्थन में, विरोधी पक्षकार ने विरोधी पक्षकार (स्वयं) को सम्मिलित करते हुए तीन गवाहों को रखते हुए गवाहों की सूची संलग्नित किया और अपने परिवाद के समर्थन में योजित दस्तावेजों की अपनी सूची में उन्होंने चौदह संलग्नकों को संलग्नित किया।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विरोधी पक्षकार ने अपने गवाहों के कथनों को संलग्नित नहीं किया है जिससे आवेदक-अभियुक्त को अपना बचाव तैयार करने में अपूरणीय क्षति

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कारित हो रही है। इस प्रकार आक्षेपित कार्यवाहियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्याभूत आवेदकों के निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन है।

4. यह पुनः प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन का यह स्वीकृत मामला है कि कथित अवमानक औषधियाँ औषधि भंडार से अधिग्रहित/जब्त कर ली गई जहाँ औषधि विक्रीत और भंडारित करने के लिए कथित रूप से प्रदर्शित और प्रस्तावित की गयी। अभिलेख का पुनः अवलोकन इसे स्पष्ट करता है कि उक्त औषधि औषधि भंडार द्वारा मेसर्स एम के हेल्थकेयर से प्राप्त की गई, यद्यपि न तो फर्म न ही उनके स्वत्वाधारियों को छिपे हुए' कारण और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के लिए अभियुक्त के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री स्कंद बाजपेई ने प्रस्तुत किया है कि अपने परिवाद में विरोधी पक्षकार ने यह कहीं नही कहा है कि आवेदकों ने अपर्याप्त/दोषपूर्ण/अवमानक औषधियों को विक्रय और वितरण के लिए विनिर्मित किया है, ऐसे आरोप की अनुपस्थिति में, परिवाद में अधिनियम, 1940 की धारा 18(क)(1), 27(क) के अन्तर्गत अपराध के घटकोंका अभाव है; इस प्रकार निचला न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता था और आवेदकों को परेशान करने के लिए विचारण का सामना करने के लिए समनित नहीं कर सकता था।

6. उन्होंने पुनः प्रस्तुत किया है कि विरोधी पक्षकार ने अपने परिवाद के समर्थन में मांग पत्र दिनांकित 10.01.2019, खेप विनिर्माण/संकुलन अभिलेख दिनांकित 10.01.2019-11.01.2019 और विश्लेषण प्रमाण-पत्र दिनांकित 27.11.2018, 03.01.2019 एवं 15.01.2019 संलग्न किया है,इनका अवलोकन दर्शाता है कि खेप के नमूने एमॉक्सीसिल्लिन और क्लावुलेनिक अम्ल के मानक के अनुरूप हैं, इस प्रकार औषधि के खराब होने के लिए आवेदकों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जो उचित भंडारण के अभाव के कारण हो सकता है। परिवाद औषधि के विनिर्माण या संकुलन के दौरान आवेदक की ओर से किसी भी खामी, कमी या लापरवाही को उजाग़र करने में असफल है। परिवाद औशधि के साभिप्राय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

अवमानक, नकली या मिलावटी विनिर्माण को सिद्ध करने में पुनः असफल है, इस प्रकार आक्षेपित कार्यवाहियां केवल इस आधार पर ही रद्द किए जाने योग्य हैं।

7. उन्होंने पुनः प्रस्तुत किया है कि विरोधी पक्षकार 27.05.2019 को औषधि भंडार से नमूने एकत्रकरने और परीक्षण के लिए नमूने भेजने का कथन करते हैं जो कथित रूप से अवमानक पाए गए, यद्यपि नमूनों के संग्रहण को देखते हुए विरोधी पक्षकार द्वारा निर्गत प्रपत्र-17 का अवलोकन दर्शाता है कि उसने उस स्थान में निवास करने वाले दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नमूने एकत्र नहीं किए जिसमें औषधि भंडार स्थित है, इस प्रकार कार्यवाहियां अपने मूल में ही दुषित हैं चूंकि निरीक्षण/तलाशी स्पष्ट रूप से अवैध हैं और परिणामस्वरूप नमूनों का संग्रह भी अभियुक्त को अपूरणीय क्षति कारित करने के लिए असमर्थनीय है।

8. उन्होंनेपुनः प्रस्तुत किया है कि मामला 04.04.2021 तक अपर सत्र न्यायाधीश-I, गोंडा के समक्ष लंबित रहा और शासनादेश दिनांकित 25.11.2019 और प्रशासनिक तौर पर इस न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 30.11.2019 के अनुसरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, बहराइच को स्थानांतरित किया गया।

9. उन्होंने पुनः प्रस्तुत किया है कि अपर सत्र न्यायाधीश-I, गोंडा के पास विरोधी पक्षकार के परिवाद दिनांकित 18.12.2019 पर संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार नहीं था चूंकि महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने अधिनियम, 1940 की धारा 36 एबीके अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम, 1940 की धारा 36 एबीकी उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अपराध के विचारण के उद्देश्य के लिए विशेष न्यायालय के रूप में प्रत्येक जनपद में 7वेंअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को अभिहित करते हुए शासनादेश दिनांकित 25.11.2019 निर्गत किया और उक्त अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश धारा 36 एबीकी उपधारा (1) के अन्तर्गत अपराध का विचारण कर सकता है केवल तब जब जिले में 7वें अपर सत्र

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

न्यायाधीश का न्यायालय नहीं है और जिला न्यायाधीशता, गोंडा के संबंध में इसे न्यायालय के अधिकारिक जालस्थल (वेबसाइट) पर उपलब्ध सूचना के अनुसार इकत्तीस न्यायिक अधिकारी वहाँ पदस्थ हैं जिसमें से आठ अपर जिला न्यायाधीश की श्रेणी के हैं, इसलिए, आक्षेपित कार्यहियां अंतर्निहित रूप से बिना क्षेत्राधिकार के हैं और आक्षेपित संज्ञान एवं समनित आदेश दिनांकित 19.12.2019 क्षेत्राधिकार के अभाव में अपास्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन के लिए, उन्होंने **(2021)12 एस0सी0सी0 674** में प्रतिवेदित **भारत संघ बनाम अशोक कुमार शर्मा; 2025 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस सी 208** मेंप्रेतिवेदित **जे0एम0 लेबोरेट्रीज बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य; (2022) 15 एस0सी0सी0 164** मेंप्रतिवेदित **हसमुखलाल डी0 वोरा बनाम तमिलनाडु राज्य; (2023) 15 एस0सी0सी0 521** मेंप्रतिवेदित **राजेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य; (2008) 14 एस0सी0सी0 171** में प्रतिवेदित **सहायक आयुक्त, आय कर, राजकोट बनाम सौरष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड; 2023 एस0सी0सी0 ऑनलाइन ऑल 4103** मेंप्रतिवेदित **पुरूषोत्तम चौधरी बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पुलिस अधीक्षक; (2017) 13 एस0सी0सी0 317** में प्रतिवेदित **विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य; और (2019) 11 एस0सी0सी0 706**में प्रतिवेदित आनंद कुमार मोहत्ता बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) में पारित निर्णयों पर (भरोसा) जताया है।

10.दूसरी तरफ, विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-I, श्री राव नरेंद्र सिंह ने श्री विनय कृष्ण, औषधि निरीक्षक द्वारा शपथित प्रति-शपथपत्र योजित किया है और केवल विरोधी पक्षकार द्वारा (योजित) परिवाद पर भरोसा जताया है और प्रस्तुत किया है कि 27.05.2019 को एलोपैथिक औषधि नमूना सं0 आरपी/बीआरएच/मई/19/08 अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण और विश्लेषण के लिए आवेदक सं0 2 द्वारा विनिर्मित गौसेक्लव-625 एलबीगोली (एमॉक्सीसिल्लिन, पोटैशियम क्लावुलनेट एवं लैक्टिक अम्ल बैसीलस) बी0/एन0एस0एल0 बी0-1832, एम/डी-जनवरी/2019, ई/डी-जून/2020 के

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

औषधि भंडार से नियमित निरीक्षण के दौरान संग्रहित किया गया। नियम के अनुसार प्रपत्र 18 व प्रपत्र 17 मौके पर तैयार किए गए और क्रय विपत्र सं0 टी24 दिनांकित 27.05.2019 एकत्र किया गया। परिवादी ने औषधि के उपर्युक्त नमूने को पंजीकृत डाक दिनांकित 30.05.2019 के माध्यम से परीक्षण एवं विश्लेषण के उद्देश्य के लिए सरकारी विश्लेषण प्रयोगशाला, लखनऊ को भेजा।आवेदक सं0 2 द्वारा निर्मित गौसेक्लव-625 एल0बी0 गोली (एमॉक्सीसिल्लिन, पोटैशियम क्लावुलनेट एवं लैक्टिक अम्ल बैसीलस) बी/एन-एस एलबी-1832, एम/डी- जनवरी/2019, ई/डी- जून/2020 का औषधि नमूना परीक्षण प्रतिवेदन सं0 वी/1626-19 दिनांकित 28.06.2019 के माध्यम से सरकारी विश्लेषक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वाराइस टिप्पणीके साथ मानव गुणवत्ता का नहीं होना घोषित किया गया कि"नमूनाक्लावुलैनिक अम्ल की मात्रा के संबंध में, घोषित सूत्र की पुष्टि नहीं करता है। पत्रांक 147-46/औषधि/2019-20 दिनांकित 09.07.2019 के माध्यम से, परिवादी ने औषधि भंडार को सूचना भेजी है। पत्रांक शून्य दिनांकित 23.07.2019 के माध्यम से, औषधि भंडार के (फर्म के स्वत्वाधारी) श्री शब्बीर अली ने उत्तर दिया है और क्रय अभिलेख अर्थात् मेसर्स एम के हेल्थकेयर, दुकान सं0 47, द्वितीय तल, पीपलीवाला, कस्बा मनीमाजरा, चंडीगढ़-160101 विवरण पत्र सं0 0000319 दिनांकित 24.01.2019 के प्रस्तुत किया है। पत्रांक 195-96/औषधि/2019-20 दिनांकित 07.08.2019 के माध्यम से, परिवादी ने मेसर्स एम के हेल्थकेयर, चंडीगढ़ को सूचना भेजी परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पुनः, पत्रांक 240-41/औषधि/2019-20 दिनांकित 06.09.2019 के माध्यम से परिवादी ने अनुस्मारक सूचना मेसर्स एम0के0 हेल्थकेयर, चंडीगढ़-160101 (संलग्नक-11) भेजा परंतु उत्तर नहीं दिया। पत्रांक 242-44/औषधि/2019-20 दिनांकित 06.09.2019 के माध्यम से, परिवादी ने आवेदक सं0 2 को मोहरबंद नमूने का भाग एवं मूल परीक्षण प्रतिवेदन के साथ सूचना भेजी। पंत्राक एसएलबी/272 दिनांकित 19.10.2019 के माध्यम से, आवेदक सं0 2 ने उत्तर

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

दिया है और गौसेक्लव-625 एलबीगोली (एमॉक्सीसिल्लिन, पोटैशियम क्लावुलनेट एवं लैक्टिक अम्ल बैसीलस) बी/एन-एस एल बी-1832, एम/डी-जनवरी/2019, ई/डी-जून/2020 के निनिर्माण को स्वीकार किया है और खेप विनिर्माण अभिलेखों, परीक्षण प्रतिवेदन, अनुज्ञप्ति और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत किया है।

11.उन्होंने पुनः प्रस्तुत किया है कि परिवादी ने आयोग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ से अनुदेषों को प्राप्त करने के बाद सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद योजित किया जिसमें आवेदकों को समनित किया गया है।

12.आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री स्कंद बाजपेई एवं श्री शिवेन्द्र शिवम सिंह राठौर द्वारा सहायप्रदत्त विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता-1 श्री राव नरेन्द्र सिंह और एकमात्र विरोधी पक्षकार/औषधि निरीक्षक के लिए उपसंजात हो रहे विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश पांडे को सुना।

13.अभिलेख प्रकट करता है कि रोग संबंधी औषधि नमूना सं0 आरपी/बीआरएच/मई/19/08 27.05.2019 को औषधि भंडार से संग्रहित किया गया, जिसे आवेदक सं0 2 द्वारा विनिर्मित किया गया। परीक्षण अधिनियम, 1940 की प्रक्रिया के अनुसार और नियम 14 व 17 के अनुसार संचालित किया गया। नमूना प्रपत्र 17 पर 27.05.2019 को मौके पर तैयार किया गया जो इंगित करता है कि प्रपत्र 17 पर संग्रहित नमूना औषधि भंडार द्वारा प्राप्त किया गया। परीक्षण प्रतिवेदन दिनांकित 28.06.2019 इंगित करता है कि *"नमूना क्लावुलैनिक अम्ल की मात्रा के संबंध में, घोषित सूत्र की पुष्टि नहीं करता है।"*

14.यहाँ यह भी उल्लिखित होना प्रासंगिक है कि औषधि भंडार को 09.07.2019 को कारण बताओं सूचना जारी की गई, जिसका उत्तर औषधि भंडार को श्री शब्बीर अली (फर्म के स्वत्वाधारी) द्वारा 23.07.2019 को दिया गया। अभिलेख पुनः प्रकट करता है कि पत्रांक 242-44/औषधि/2019-20 दिनांकित 06.09.2019 के माध्यम से, परिवादी ने आवेदक सं0

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2 को मोहरबन्द नमूने के भाग और मूल परीक्षण प्रतिवेदन के साथ सूचना भेजी और आवेदक सं0 2 ने, 19.10.2019 को, उत्तर दिया और गौसेक्लव-625 एलबीगोली (एमॉक्सीसिल्लिन, पोटैशियम क्लावुलनेट एवं लैक्टिक अम्ल बैसीलस) बी/एन-एस एलबी-1832, एम/डी- जनवरी/2019, ई/डी-जून/2020 के विनिर्माण को स्वीकार किया और खेप विनिर्माण अभिलेखों, परीक्षण प्रतिवेदन, अनुज्ञप्ति, और अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत किया।

15.यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि आवेदक ने नमूने के संग्रहण की प्रक्रिया को इस आधार पर प्रश्नगत किया है कि उक्त नमूने के सत्यापन के लिए परिवादी द्वारा दो गवाहों को प्रस्तुत नहीं कराया गया। यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है, जिसका इस न्यायालय द्वारा धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में क्रमवीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह एक विचारण का मामला है।

16.आवेदक की स्वीकृति भी प्रार्थना-पत्र के प्रस्तर 16 में की जाती है कि 07.04.2021 को अपर सत्र न्यायाधीश-I,गोंडा ने यह निर्देश देते हुए आदेश पारित किया कि "यह मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोंडा से स्थानांतरण द्वारा प्राप्त किया जाता है जिस पर अगली निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत होने के लिए आदेश पारित किया गया।

17.अभिलेख प्रकट करता है कि 19.12.2019 को, समन अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गोंडा द्वारा जारी किया गया है। मामला न्यायनिर्णयन के लिए क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

18.नमूना औषधि भंडार पर लिया गया और नमूना औषधि भंडार के स्वत्वाधारीको उपलब्ध कराया गया और उसके बाद, औषधि भंडार के स्वत्वाधारी को कारण बताओं सूचना भेजी गई है और बाद में आवेदक सं0 2को, जो विनिर्माणकर्ता है।

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

19.**कप्तान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021)9 एस0सी0सी0 35**में पारित निर्णय के प्रस्तर 9.1 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि उच्च न्यायालय को आरोपों के गुण-दोषों में जाने और/या मामले के गुण-दोषों में प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मानो उच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग और/या विचारण का संचालन कर रहा है।

20.**कप्तान सिंह (ऊपरिवर्णित)** में पारित निर्णय का प्रस्तर 9.1 यहाँ निम्नवत उद्धरित किया जाता है:-

"9.1 आरंभ में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में धारा 147, 148, 149, 406, 329 एवं 386 के अन्तर्गत अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाहियां रद्द कर दी है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब उच्च न्यायालय ने धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाहियां रद्द की, उस समय तक अन्वेषण अधिकारी ने गवाहों के कथन, परिवादी के कथन अभिलिखित करने और घटना स्थल से साक्ष्य संग्रहित करने के बाद और स्वतंत्र गवाहों के कथन और यहाँ तक कि अभियुक्त व्यक्तियों के कथन लेने के बाद धारा 147, 148, 149, 406, 329 एवं 386 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अपराधों के लिए विद्वान दंडाधिकारी के समक्ष आरोप-पत्र योजित किया है और यहाँ तक कि विद्वान दंडाधिकारी ने संज्ञान भी ले लिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश [राधे श्याम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 एस0सी0सी0 ऑनलाइन ऑल 914]से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय ने अन्वेषण/जांच के दौरान संग्रहित सामग्री और यहाँ तक कि अभिलिखित कथनों को विचारण में लिया। यदि धारा 482 सीआर0पी0सी0 के अन्तर्गत याचिका प्रथम सूचना रिपोर्ट के

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use.

चरण में थी उस स्थिति में प्रथम सूचन प्रतिवेदन/परिवाद में आरोपों को विचारित किए जाने की आवश्यकता है और चाहेसंज्ञेय अपराध उद्घाटित हो या न हो विचारित किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, उसके बाद जब कथन अभिलिखित किए जाते हैं, साक्ष्य संग्रहित किया जाता है और अन्वेषण/जांच के निष्कर्ष के बाद आरोप-पत्र योजित किया जाता है, मामला पूरी तरह से अलग आधार पर है और न्यायालय को अन्वेषण के दौरान संग्रहित सामग्री/साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि इस चरण में भी, जैसा निर्णयों की श्रंखला में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अवधारित किया गया, उच्च न्यायालय को आरोपों के गुण-दोषों में जाने और/या मामले के गुण-दोषों में प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है मानो उच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग और/या विचारण का संचालन कर रहा है। जैसा इस न्यायालय द्वारा यह परीक्षित करने के क्रम में दिनेश भाई चंदूभाई पटेल [दिनेशभाई चंदूभाई पेटल बनाम गुजरात राज्य, (2018)3 एस0सी0सी0 104: (2018)1 एस0सी0सी0 (आपराधिक) 683]अवधारित किया कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट की तथ्यात्मक अन्तर्वस्तु कोई संज्ञेय अपराध उद्घाटित करती है या नहीं, उच्च न्यायालय अन्वेषण अभिकरण की तरह कार्य नहीं कर सकता है न ही एक अपीलीय न्यायालय की तरह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह पुनः अवलोकित और अवधारित किया जाता है कि उस प्रश्न को यह ध्यान में रखते हुए परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु और प्रथम दृष्ट्या सामग्री, यदि कोई है, को किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रम पर, उच्च न्यायालय साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकता है न ही यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन की अन्तर्वस्तु और भरोसा जताई गई सामग्री से अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है। यह पुनः अवलोकित किया जाता है यह और भी अधिक है, जब भरोसा जताई गई सामग्री विवादीत है। यह पुनः अवलोकित किया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे प्रक्रम पर जांच-पड़ताल करना

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

अन्वेषण प्राधिकारी का काम हो जाता हैऔर तब ऐसे प्रश्नों को परीक्षित करना न्यायालय का कार्य हो जाता है कि एक बार जब ऐसी सामग्री के साथ आरोप-पत्र योजित किया जाता है तो कहाँ तक और किस सीमा तक ऐसे सामग्री पर भरोसा जताया जा सकता है।"

21.इसी प्रकार, **फैज़ान अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस0सी0सी0 ऑनलाईन ऑल 687**के मामले में, इस न्यायालय ने **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह, (2023) 18 एस0सी0सी0 399**के मामले में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय यह न्यायालय तथ्य के विवादित प्रश्न में नहीं जा सकता है और न ही आरोपों की शुद्धता को न्यायनिर्णयित करने के लिए लघु विचारण आयोजित कर सकता है और पक्षकारों को उनसे संबंधित मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाने के बाद वह विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। उसके बाद, इस न्यायालय ने प्रस्तर12 में अवधारित किया है कि आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र को निर्णीत करते समय इस न्यायालय को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन मामले को परीक्षित करना है कि क्या अभियुक्त व्यक्ति के लिए मामला बनाता है या नहीं और अभियुक्त का बचाव इस प्रक्रम पर विचारण में नहीं लिया जा सकता है।

22.**राजीव कौरव बनाम बाईसाहब, (2020)3 एस0सी0सी0 317**के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत अवधारित किया हैः-

"8. यह अब अनसुलझा मामला नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग केवल तब हो जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाया गया आरोप या आरोप-पत्र कथित अपराध/अपराधों की सामग्री को गठित

<u>अस्वीकरण:</u>
अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करते हैं। धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किसी न्यायालय की प्रक्रिया के कुप्रयोग को रोकनाया अन्यथा न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना है। यह स्थापित विधि है कि अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में प्रस्तुत साक्ष्य को न्यायालय द्वारा नहीं खंगाला जा सकता, सिवाए आपराधिक कार्यवाहियों के आरंभिक चरण में बहुत ही आपवादिक परिस्थियों में। यह अतिसामान्य विधि है कि उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत योजित याचिका पर विचार करते हुए साक्ष्य की समीक्षा का कार्य नहीं कर सकता है। यह इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि से स्पष्ट है कि यदि अभियुक्त के विरूद्ध कथित अपराध की सामग्री को उद्घाटित करते हुए प्रथम दृष्टया मामला बनता है तोह न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता है।"

23.आवेदक ने नमूने लेने के तरीके, न्यायालय के क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया पर प्रश्न किया है जैसा अधिनियम, 1940 की धारा 36एबीके अर्न्गत परिकल्पित है। ये तथ्य के विवादित प्रश्न हैं और विचारण न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जा सकते।

24.प्रस्तुत मामले में, औषधियों में अपमिश्रण का आरोप है और विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रकट करता है कि *"नमूना क्लावुलैनिक अम्ल की मात्रा के संबंध में घोषित सूत्र की पुष्टि नहीं करता है।"*ऐसी परिस्थितियों में, यह विचारण न्यायालय है जो प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की समीक्षा पर मामले को निर्णीत करने के लिए सक्षम है।

25.यह न्यायालय, धारा 482 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत अपने अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, लघु विचारण या साक्ष्यिक सामग्री के मूल्यांकन पर समीक्षा का कार्य नहीं कर सकता है।इस चरण में हस्तक्षेप का दायरा सीमित है जैसा **कप्तान सिंह**

<u>अस्वीकरण:</u>

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated Version. Not for Legal Use

(ऊपरिवर्णित), आर्यन सिंह (ऊपरिवर्णित) और **राजीव कौरव (ऊपरिवर्णित)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरंतर अवधारित किया गया है।

26.यह न्यायालय इस दृष्टिकोण का है कि यह न्यायालय चरण में साक्ष्यों को नहीं तौल सकती है, जिसके लिए विचारण आवश्यक है।

27.प्रार्थना-पत्र गुणों से रहित है और तद्नुसार **निरस्त** की जाती है।

मार्च 26, 2026 **(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)**

मोहित सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।